राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

–––00–––

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 284वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 22/07/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री जी.एल. सांकला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 11/06/2019, 12/06/2019, 13/06/2019 एवं 14/06/2019 को संपन्न क्रमशः 280वीं, 281वीं, 282वीं एवं 283वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/06/2019, 12/06/2019, 13/06/2019 एवं 14/06/2019 को संपन्न क्रमशः 280वीं, 281वीं, 282वीं एवं 283वीं बैठक हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: दिनांक 07/07/2019 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स गोपाल स्पंज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, फेस–2 के समीप, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 893)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37241/2019, दिनांक 04/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र फेस–2 के समीप, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 381/1, 381/2, 382, 392/1, 383/1, 383/3, 383/4, 383/5 एवं 392/7, कुल क्षेत्रफल – 21.13 एकड़ में स्थापित स्पंज आयरन किल्न (2 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–4.5 मेगावॉट, प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,904 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्ज रोलिंग मिल (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस एण्ड सीसीएम रूट) क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 50.31 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 14 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_ Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_ Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit

operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य में, भारत सरकार से आगामी निर्देश प्राप्त होने तक आवेदित प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण पर भारत सरकार से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

2. मेसर्स वंदना इस्पात लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 894)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37285/2019, दिनांक 04/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 279/4, 306/1, 279/2, 279/5, 279/1, 278/4, 278/5, 276, 279/3, 278/3, 278/7, 283/1, 283/2(पार्ट) एवं 278 /1, कुल क्षेत्रफल – 7.54 हेक्टेयर में स्थापित एम.एस. इंगाट/बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 57,600 टन प्रतिवर्ष से 3,07,800 टन प्रतिवर्ष, री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट क्षमता – 5,00,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू हॉट चार्ज क्षमता – 46,000 टन प्रतिवर्ष से 2,45,900 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू बिलेट री–हीटिंग फर्नेस क्षमता – 4,54,000 टन प्रतिवर्ष को कम करते हुए

2,54,100 टन प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 41.22 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 28.28 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_ Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_ Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

   "Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

   एवं

   "No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of

1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य में, भारत सरकार से आगामी निर्देश प्राप्त होने तक आवेदित प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण पर भारत सरकार से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

3. **मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 98)**

ऑनलाईन आवेदन – वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 37384/ 2013, दिनांक 06/06/2019 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (change in fuel) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 599/20, कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर में स्थापित कोल वॉशरी रिजेक्ट आधारित पॉवर प्लांट (2 गुणा 50 मेगावॉट) क्षमता – 100 मेगावॉट में वॉशरी रिजेक्ट के स्थान पर रॉ–कोल का उपयोग करने के लिए (change in fuel) पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1088, दिनांक 29/11/2013 द्वारा ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 599/20, कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर में कोल वॉशरी रिजेक्ट आधारित पॉवर प्लांट (2 गुणा 50 मेगावॉट) क्षमता – 100 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2 के समीप, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 896)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37370/ 2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2 के समीप, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 409/1, 416/4, 411/1, 411/2, 418/2, 418/4, 463/1, 417/5, 419, 416/5, 416/6, 416/7, 463/6, 454/2, 416/1, 417/2, 417/4, 417/6, 456, 406/1, 417/1, 412, 410/2, 413, 414, 215, 454/1, 410/1, 416/3, 417/3 एवं 409/2, कुल क्षेत्रफल – 30.95 एकड़ में स्थापित स्पंज आयरन किल्न (3 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता–90,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू. एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–9 मेगावॉट एवं एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता–2.5 मेगावॉट, प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष से 59,520 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्ज रोलिंग मिल (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस एण्ड सीसीएम रूट) क्षमता – 57,786 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 114.19 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 16 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 1038 ऑफ 2018 में दिनांक 10/07/2019 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई मॉनिटरिंग के आधार पर देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र/ समूहों का अवरोही CEPI Score का विवरण किया गया है। उक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

Sl. No.	Name of Polluted Industrial Areas (PIAs)	Air	Water	Land	CEPI Score	Status of Environment
19.	Siltara Industrial Area (Chhattisgarh)	76.00	51.75	31.75	79.94	Ac_Ws_Ln
37.	Raipur (Chhattisgarh)	67.00	45.75	25.00	70.77	Ac_Ws_Ln
76.	Korba (Chhattisgarh)	43.75	17.75	54.00	57.57	An_Wn_Ls
93.	Bhilai-Durg (Chhattisgarh)	43.00	32.75	19.75	46.69	An_Wn_Ln

2. पारित आदेश के पैरा (28) में मुख्य रूप से निम्नानुसार उल्लेख है:–

"Accordingly, we direct the CPCB in coordination with all State PCBs/PCCs to take steps in exercise of statutory powers under the Air (Prevention and

Control of Pollution) Act,1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, Environment (Protection) Act,1986 or any other law to prohibit operation of polluting activities in the said CPAs and SPAs within three months and furnish a compliance report to this Tribunal."

एवं

"No Further industrial activities or expansion be allowed with regard to 'red' and 'orange' category units till the said areas are brought within the prescribed parameters or till carrying capacity of area is assessed and new units or expansion is found viable having regard to the carrying capacity of the area and evironmental norms."

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के समक्ष वर्ष 2018 के CEPI Score अनुसार सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता क्रिटिकल होना बताया गया है।

4. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों अनुसार "Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A' if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन. जी.टी., प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य में, भारत सरकार से आगामी निर्देश प्राप्त होने तक आवेदित प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण पर भारत सरकार से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत दरगहन, ग्राम–दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 897)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37375 / 2019, दिनांक 06 / 06 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दरगहन, ग्राम पंचायत दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत दरगहन द्वारा दिनांक 08/02/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 354/खनि/न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 40 मीटर है, तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 02, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई. आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन कमांक 775 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर, ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 898)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37934/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजपुर, ग्राम पंचायत राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,53,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा दिनांक 08/02/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के

200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई. आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन कमांक 54 दिनांक 07/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 3 माह के भीतर पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर की जानकारी) में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, फेस–1, सिलतरा औद्योगिक ग्रोथ सेंटर, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 596)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 19333/ 2017, दिनांक 11/08/2018। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/06/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 86, दिनांक 08/05/2019 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 86, दिनांक 08/05/2019 द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् फेस–01, सिलतरा औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–रायपुर, कुल भूमि 67.96 हेक्टेयर (167.94 एकड़) में केप्टिव पॉवर प्लांट की उत्पादन क्षमता – 81.5 मेगावाट सुनिश्चित करते हुए टरबाईन क्रमांक – 02 एवं 03 के स्थान पर भेल निर्मित नई उच्च्य क्षमता एवं दक्षता की टरबाईन लगाये जाने, इण्डक्शन फर्नेस – 3,20,000 टन प्रतिवर्ष से 5,45,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल – 1,80,000 टन प्रतिवर्ष से 3,80,000 टन प्रतिवर्ष, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस (एलआरएफ) – 40 टन से 70 टन एवं कंटिन्युअस कास्टिंग मिल (सीसीएम) – 3,60,000 टन प्रतिवर्ष से 6,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक II(iv) में वर्णित शर्त:–

The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter and in re-heating furnace of re-rolling mill with minimum 35 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3 all the time. The ESP installed in existing power plant shall be upgraded / modified within one year from the date issued of environmental clearance to achieve particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3.

उद्योग द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त में निम्न संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है:–

"The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag

filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack hight to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3 all the time. The ESP installed in existing power plant shall be upgraded / modified to achieve particulate matter emission less than 30 mg/Nm^3 within one year from the date issued of amended environmental clearance or consent to establish for enhanced capacity of 98.7 MW."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्त पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुरूद (कुटेला), ग्राम–कुरूद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 899)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37416/2019, दिनांक 07/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) द्वारा दिनांक 28/04/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशा.) वास्ते कलेक्टर एवं सहायक खनिज अधिकारी, रायपुर द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 536, रायपुर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, ऐनीकट, वाटर सप्लाई स्कीम, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं **बैठक में** प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में

समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स अविनाश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–मोहरा एवं हिरमी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 900)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 37500/ 2019, दिनांक 08/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मोहरा में खसरा क्रमांक 146, 147, 148, 149, 150, 168/1, 2, 3 एवं 4, 169, 170/1, 2, 3, 4 एवं 5, 171, 172/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, 173, 174/1 एवं 2, 175, 176, 177/1 एवं 3, 178, 179/1 एवं 2, 180, 181/1, 2 एवं 3, 182/1 एवं 6, 183, 184 तथा ग्राम–हिरमी में खसरा क्रमांक 872/2, 856, 855/3, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित कुल क्षेत्रफल – 67 एकड़ (27.129 हेक्टेयर) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स/एम.एस.इंगाट्स) (5 गुणा 10 टन) क्षमता – 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/ स्ट्रक्चरल स्टील/ रोल्ड प्रोडक्ट्स) (1 गुणा 500 टन प्रतिदिन) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट तथा एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 98 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड, कैसेटराईट माईन, ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 714)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74696/2018, दिनांक 20/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2018 एवं 23/08/2018 के

द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/11/2018, 13/08/2018 एवं 12/06/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 179, 182 एवं 183, कुल क्षेत्रफल – 4.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड, ग्राम–बड़े बचेली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 715)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74714/2018, दिनांक 21/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2018 एवं 23/08/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/11/2018, 13/08/2018 एवं 12/06/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बड़े बचेली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 979, 980/1,2,3, 981, 982, 983 एवं 984, कुल क्षेत्रफल – 5.314 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स छोटे कड़मा लाईम स्टोन माईन (मोहम्मद रफीक खान), ग्राम–छोटे कड़मा, तहसील–दरभा (जगदलपुर), जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 677) द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 25/05/2019 के निर्णय पर पुनःविचार हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन मोहम्मद रफीक खान द्वारा उनके विषयांकित प्रकरण में लिए निर्णय के पुनःविचार हेतु दिनांक 12/06/2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- आवेदन में उन्होनें संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 15/11/2018 को प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 6.52 किलोमीटर बताया गया था। पुनः निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 22/11/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4 किलोमीटर बताया गया। यह दूरी किस आधार पर कम हुई इसे प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 14/12/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 3.97 किलोमीटर बताया गया।
- तीनों प्रतिवेदन में अंतर का कारण निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर ने नहीं दिया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान को दर्शायी दूरी में अलग–अलग तिथियों में भेजे प्रतिवेदनों में विषमता का कारण स्पष्ट करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।

संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स छोटे कड़मा लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री रेखचंद जैन), ग्राम–छोटे कड़मा, तहसील–दरभा (जगदलपुर), जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 680) द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 25/05/2019 के निर्णय पर पुनःविचार हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन श्री रेखचंद जैन द्वारा उनके विषयांकित प्रकरण में लिए निर्णय के पुनःविचार हेतु दिनांक 12/06/2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- आवेदन में उन्होनें संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 15/11/2018 को प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 6.52 किलोमीटर बताया गया था। पुनः निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 22/11/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4.12 किलोमीटर बताया गया। यह दूरी किस आधार पर कम हुई इसे प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 14/12/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4.1 किलोमीटर बताया गया।
- तीनों प्रतिवेदन में अंतर का कारण निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर ने नहीं दिया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान को दर्शायी दूरी में अलग–अलग तिथियों में भेजे प्रतिवेदनों में विषमता का कारण स्पष्ट करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।

संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद(ली), ग्राम–अरौद(ली), तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 902)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37747/2019, दिनांक 13/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अरौद(ली), ग्राम पंचायत अरौद(ली), तहसील व जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–66,825 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत अरौद(ली) द्वारा दिनांक 08/11/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 442/खनि/न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 12/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 40 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. सरपंच, ग्राम पंचायत जवरगांव, ग्राम–जवरगांव, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 905)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37838/2019, दिनांक 17/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–जवरगांव, ग्राम पंचायत जवरगांव, तहसील व जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 952, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–66,825 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत जवरगांव द्वारा दिनांक 02/03/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 50 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 952, क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई. आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 61 दिनांक 07/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी 500 मीटर के प्रमाण पत्र में ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड, केपिटल प्रोजेक्ट डिविजन–02, सेक्टर–12 टाउनशिप, अटल नगर, ग्राम–कोटराभाठा एवं पलौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 906)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 106958/ 2019, दिनांक 18/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोटराभाठा एवं पलौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित ग्राम–कोटराभाठा का खसरा क्रमांक 16(पार्ट), 76(पार्ट), 81, 82(पार्ट), 83, 84, 85, 86, 87, 88/1–2, 89(पार्ट), 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1–2, 102, 103(पार्ट), 104, 106(पार्ट), 107, 108(पार्ट), 109(पार्ट), 110(पार्ट), 115(पार्ट), 116/1–2–3, 117, 118, 119, 120, 121, 122(पार्ट), 128(पार्ट), 131/1–2–3(पार्ट), 132(पार्ट), 133, 134, 135(पार्ट), 136(पार्ट), 137(पार्ट), 138(पार्ट) एवं ग्राम–पलौद का खसरा क्रमांक 18(पार्ट), 19(पार्ट), 20(पार्ट), 25(पार्ट), 28(पार्ट), 80, 86(पार्ट), 87(पार्ट), 88, 90(पार्ट), 91(पार्ट), 92(पार्ट), 93, 93/2449, 94, 95, 96, 97, 98, 99(पार्ट), 102(पार्ट), 103, 104, 105, 106, 107(पार्ट), 108(पार्ट) एवं 109(पार्ट) में प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 3,03,507.4 वर्गमीटर (30.35 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 2,03,412.61 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स श्रीमति गीता देवी देशमुख ब्रिक्स अर्थ माईन, ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 906ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37910/2019, दिनांक 19/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन

किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई (आई.आई.टी.), ग्राम–कुटेलाभाठा एवं खपरी, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 909)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/38153/2019, दिनांक 24/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कुटेलाभाठा एवं खपरी, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित ग्राम–कुटेलाभाठा का खसरा क्रमांक 1, 2, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 30, 91/2, 97, 98, 99, 100, 101, 105/2, 106/2, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 150 एवं ग्राम–खपरी का खसरा क्रमांक 176, 177, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 एवं 213 में प्रस्तावित कन्सट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 13,99,300 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 3,38,960 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 1,400 करोड़ होगा।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स आमाकोनी लाईन स्टोन क्वारी माईन (श्री अशोक बाजपेयी), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 910)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38183/2019, दिनांक 25/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा स्थित खसरा क्रमांक 63(पार्ट), 75, 76 एवं 78(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,158.5 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट एण्ड लॉजिस्टीक पार्क, ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 911)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस /109058/ 2019, दिनांक 26/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 192/3, 192/6, 193/13, 193/23, 193/26, 185/22, 185/35, 193/16, 185/20, 193/21, 185/15, 193/14, 193/25, 193/18, 193/33, 193/32, 193/12, 193/31, 193/7, 193/9, 193/10, 193/27, 197, 196, 193/6, 185/6, 193/1/30, 193/28, 193/29, 193/4, 193/36, 193/37 एवं 193/40 में प्रस्तावित बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 95,310 वर्गमीटर (9.531 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 49,056.62 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स भटभेरा लाईम स्टोन माईन (श्री रिपूसुदन वर्मा), ग्राम–भटभेरा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 692)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74399/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38155/ 2018, दिनांक 26/06/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट

प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरणः—समिति अवगत हुई थी कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया था।

प्रस्ताव का विवरण — यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम—भटभेरा, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 100/1, 100/2 एवं 100/3, कुल लीज क्षेत्र 4.808 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 1,10,000 टन/वर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/07/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

पूर्व बैठक का विवरण — यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार — समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

22. सचिव, ग्राम पंचायत दुलदुला, ग्राम—दुलदुला, तहसील—दुलदुला, जिला—जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 891)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37017/ 2019, दिनांक 01/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—दुलदुला, ग्राम पंचायत दुलदुला, तहसील—दुलदुला, जिला—जशपुर स्थित

पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन सिरी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,136 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत दुलदुला द्वारा दिनांक 08/02/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 445/ख.शा./2015/ जशपुर, दिनांक 16/07/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया किः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 908, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन कमांक 4559 दिनांक 14/01/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष 5 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी वर्ष 2015 की प्रस्तुत की गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 500 मीटर की अद्यतन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी बी), ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 886)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36818/2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 55/26 एवं 55/29(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 52,218.75 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 22/07/2019 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में किए जाने की प्रतिबद्धता होने के कारण प्रस्तुतीकरण हेतु यथा संभव शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

24. मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी ए), ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 884)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36812/2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/29, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 67,725 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 22/07/2019 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में किए जाने की प्रतिबद्धता होने के कारण प्रस्तुतीकरण हेतु यथा संभव शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

25. मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी सी), ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 890)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37133/2019, दिनांक 01/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/26, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 70,271.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 22/07/2019 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में किए जाने की प्रतिबद्धता होने के कारण प्रस्तुतीकरण हेतु यथा संभव शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

26. मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 795)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33508/2019, दिनांक 23/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित वन कक्ष क्रमांक 641 एवं 642, कुल क्षेत्रफल – 75 हेक्टेयर में है। परियोजना

प्रस्तावक क्षमता विस्तार के तहत् खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष आयरन ओर अपशिष्ट का उपयोग करने हेतु न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

27. सचिव, ग्राम पंचायत अमडीहा, ग्राम–बलुआबहार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 882)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36740/ 2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बलुआबहार, ग्राम पंचायत अमडीहा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–49,380 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 1483/ख. लि. / 2018/जशपुर, दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकेट, जल आपूर्ति स्त्रोत आदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

28. सचिव, ग्राम पंचायत बुमतेल, ग्राम–कुजरी, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 892)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37179/ 2019, दिनांक 02/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 के द्वारा

जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुजरी, ग्राम पंचायत बुमतेल, तहसील–मनोरा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 26/1क एवं 26/2क, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन लावा नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–61,568 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. ग्राम पंचायत बुमतेल द्वारा दिनांक 03/01/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 444/ख.शा./2015/जशपुर, दिनांक 16/07/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 26/1क एवं 26/2क, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4754 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 15 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी वर्ष 2015 की प्रस्तुत की गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा 500 मीटर की अद्यतन प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 — गौण खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत दतरेंगी, ग्राम–दतरेंगी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 844)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35172/2019, दिनांक 24/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दतरेंगी, ग्राम पंचायत दतरेंगी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार –भाठापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1512, कुल लीज क्षेत्र 4.044 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–54,594 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा के ज्ञापन क्रमांक 130/खनि/न.क्र./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 16/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 155 मीटर की दूरी पर 1 अन्य रेत खदान दतरेंगी–1 होना बताया गया है, जिसके क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की दूरी एवं रकबा सहित जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. आवेदन की मूलप्रति (पठनीय प्रति) प्रस्तुत किया जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. सचिव, जनपद पंचायत आरंग, ग्राम–कुरूद(ए), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 852)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35615/2019, दिनांक 03/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद(ए), जनपद पंचायत आरंग, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की

गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. ग्राम–कुरूद(ए), जनपद पंचायत आरंग, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर एवं ग्राम–कुरूद(बी), जनपद पंचायत आरंग, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर को दूरी दर्शाते हुए माईनिंग विभाग द्वारा प्रमाणित कर, एक प्रमाण पत्र में दर्शाकर (नक्शा सहित) जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2019 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जाए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को मान्य किया जाकर आवेदन को निरस्त/डि–लिस्ट किए जाने अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. सचिव, जनपद पंचायत आरंग, ग्राम–कुरूद (बी), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 853)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35696/2019, दिनांक 04/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद(बी), जनपद पंचायत आरंग, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. ग्राम–कुरूद(ए), जनपद पंचायत आरंग, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर एवं ग्राम–कुरूद(बी), जनपद पंचायत आरंग, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर को दूरी दर्शाते हुए माईनिंग विभाग द्वारा प्रमाणित कर, एक प्रमाण पत्र में दर्शाकर (नक्शा सहित) जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2019 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र को मान्य किया जाकर आवेदन को निरस्त/डि–लिस्ट किए जाने अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत चरौदा, ग्राम–चरौदा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाठापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 854)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35713/2019, दिनांक 04/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चरौदा, ग्राम पंचायत चरौदा, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार –भाठापारा स्थित खसरा क्रमांक 1290(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–74,250 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत बरोण्डा, ग्राम–बरोण्डा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 754ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 86980/2018, दिनांक 29/11/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/05/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण जानकारी ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बरोण्डा, ग्राम पंचायत बरोण्डा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 162, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (1,36,000 टन प्रतिवर्ष) है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स अमित कुमार बेलचंदन लाईम स्टोन माईन, ग्राम–सिब्दी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 842)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35068/2019, दिनांक 22/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण ऑटो ई.डी.एस. (Auto EDS) जारी हो गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दस्तावेज दिनांक 13/05/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण जानकारी ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–सिब्दी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 1121, कुल क्षेत्रफल – 1.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,111.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में भूमि

स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित कुमार, बेलचंदन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत सिब्दी द्वारा दिनांक 12/09/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन दिनांक 05/10/2018 द्वारा जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1220/ख.लि./खनिज/2018 बालोद, दिनांक 06/03/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–सिब्दी 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–भारटकला 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गुण्डरदेही 20 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 1.5 किलोमीटर है। खरखरा नदी 7 किलोमीटर की दूरी पर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद वनमण्डल, बालोद के ज्ञापन दिनांक 19/09/2017 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,69,625 मीट्रिक टन एवं माईनेबल रिजर्व 85,050 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.46 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। ड्रिलिंग हेतु वेट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर

खुला क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	2,963	1.5	4,444.5	11,111.25
द्वितीय	2,963	1.5	4,444.5	11,111.25
तृतीय	2,963	1.5	4,444.5	11,111.25
चतुर्थ	2,963	1.5	4,444.5	11,111.25
पंचम	2,963	1.5	4,444.5	11,111.25

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
छठवे वर्ष	2,455	1.5	3,682	9,205
	762	1	762	1,905
सातवे वर्ष	4,444.5	1	4,444.5	11,111.25
आठवे वर्ष	2,693	1	2,693	6,732.5

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

10. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत

किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 50	2%	Rs. 1.0

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System facility on Govt School of Village-Sibdi (Area-4200 sq. ft.) (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	4	10,000	40,000
2.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village-Sibdi	2	15,000	30,000
3.	Solar lighting system (9 wt) in Sahu Sadan and Samudayik Bhawan at Village-Sibdi	2	15,000	30,000
	Total			**1,00,000**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यवार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1220/ख.लि./खनिज/2018 बालोद, दिनांक 06/03/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सिब्दी) का रकबा 1.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–सिब्दी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद, खसरा क्रमांक 1121, कुल क्षेत्रफल – 1.88 हेक्टेयर चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 11,111.25 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 829बी)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34758/2019, दिनांक 14/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/04/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/05/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण जानकारी ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल क्षेत्रफल – 5.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनेश कुमार दम्मानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत गोडपेण्ड्री द्वारा दिनांक 31/05/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर के भीतर एवं दायरे में श्मसान स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुलिया, बांध, एनिकेट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्मित नहीं है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1925/ख.लि./खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 15/03/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 8 खदानें, कुल क्षेत्रफल 14.34 हेक्टेयर है। जिनमें से 5 खदानें दिनांक 09/09/2013 के पूर्व की है। 3 खदानें, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, 3.97 हेक्टेयर एवं 1.59 हेक्टेयर का उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के बाद स्वीकृत है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–गोडपेण्ड्री 0.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर पाटन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–गोडपेण्ड्री 0.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अस्पताल ग्राम–फुंडा 3.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन मरौदा 15 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 किलोमिटर एवं राज्यमार्ग 1.5 किलोमीटर है। सेलुद नदी 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 30/03/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 16,38,000 मीट्रिक टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,49,176 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (9,119 वर्गमीटर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की

मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आय 21 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। ड्रिलिंग हेतु वेट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	8,000	3	24,000	60,000
द्वितीय	8,000	3	24,000	60,000
तृतीय	8,000	3	24,000	60,000
चतुर्थ	8,000	3	24,000	60,000
पंचम	8,000	3	24,000	60,000

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
छठवे वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
सातवे वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
आठवे वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
नौवे वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
दसवे वर्ष	8,000	3	24,000	60,000

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 115	2%	Rs. 2.30

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System facility on Govt School of Village-Gondpendri (Area-9100 sq. ft.) (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	8	10,000	80,000
2.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village- Gondpendri	3	15,000	45,000
3.	Solar lighting system (9 wt) in Social Places at Village- Gondpendri according to guidance of Gram Panchayat	7	15,000	1,05,000
	Total			**2,30,000**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1925/ख.लि./खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 15/03/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500

मीटर के भीतर 8 खदानें, कुल क्षेत्रफल 14.34 हेक्टेयर है। जिनमें से 5 खदानें दिनांक 09/09/2013 के पूर्व की है। 3 खदानें, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, 3.97 हेक्टेयर एवं 1.59 हेक्टेयर का उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के बाद स्वीकृत है। आवेदित खदान (ग्राम–गोडपेण्ड्री) का रकबा 5.04 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोडपेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 12.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.
ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photographs.
iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
v. CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स (प्रो.–श्री गौतम चंद जैन), ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहरा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 822)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34425/2019, दिनांक 08/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/04/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/05/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण जानकारी ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहरा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक

41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10, कुल क्षेत्रफल – 1.457 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति, समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आंनद गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत तालपुर द्वारा दिनांक 20/02/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन दिनांक 06/09/2018 द्वारा जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 718/खनिज/ख.लि. 2/ई–टेण्डर/19 कबीरधाम, दिनांक 24/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.351 हेक्टेयर है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–तालपुर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहर कवर्धा 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अस्पताल ग्राम–लोहारा 3.5 किलोमीटर एवं स्कूल ग्राम–तालपुर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन दुर्ग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 0.15 किलोमीटर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन दिनांक 24/05/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 38,0495 मीट्रिक टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,74,887.5 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.577 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मेन्युअल विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 1 मीटर से 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 5.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 3 गुणा 3 के अंतराल में 320 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	9,000	1.5	13,500	33,750
द्वितीय	9,000	1.5	13,500	33,750
तृतीय	9,000	1.5	13,500	33,750
चतुर्थ	9,000	1.5	13,500	33,750
पंचम	5,946	1.5	13,500	33,750
	1,527	2		

आगामी वर्ष की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
छठवे वर्ष	1,218	2	2,436	6,090

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

10. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 39	2%	Rs. 0.78

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System facility on Govt School of Village-Talpur (Area-3500 sq. ft.) (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	3	10,000	30,000
2.	Rain Water Harvesting System facility on Samudayik Bhawan Village-Talpur (Area-1320 sq. ft.) (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	1	10,000	10,000
3.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village- Talpur	2	15,000	30,000
4.	Solar lighting system (9 wt) in Samudayik Bhawan Village-Talpur	1	15,000	15,000
	Total			**85,000**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 718/खनिज/ख.लि. 2/ई–टेण्डर/19 कबीरधाम, दिनांक 24/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.351 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–तालपुर) का रकबा 1.457 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–तालपुर) को मिलाकर कुल रकबा 6.808 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.
ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photographs.
iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
v. CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुंद, ग्राम–बड़गांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 870)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36155/2019, दिनांक 14/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बड़गांव, जनपद पंचायत महासमुंद, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1106, कुल लीज क्षेत्र 15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 1106, क्षेत्रफल–15 हेक्टेयर, क्षमता–2,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन कमांक 505 दिनांक 05/07/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयालू राम ध्रुव, अधिकृत प्रतिनिधि, जनपद पंचायत महासमुंद उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1084 दिनांक 19/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	अवधि	रेत उत्खनन की मात्रा (घनमीटर)
1.	05/07/2016 से 31/03/2017	13,523
2.	01/04/2017 से 31/03/2018	33,430
3.	01/04/2018 से 04/07/2018	12,362
कुल		**59,315**

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच द्वारा बताया गया कि रेत उत्खनन हेतु किसी भी प्रकार के मशीन का उपयोग नहीं किया गया और न ही भविष्य में किया जाएगा।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि इस मानसून में 4,000 नग पौधे लगाया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत उपलब्धता की मोटाई एवं इस बाबत् प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई के आधार पर मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 15 पिट के आधार पर वर्तमान में रेत उपलब्धता की मोटाई 2.32 मीटर होना बताया गया है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 701 दिनांक 07/04/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बड़गांव) का क्षेत्रफल 15 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

1. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
2. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.
3. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
4. Project Proponent shall submit the post mansoon RL.
5. Project Proponent shall submit the Co-ordinates of Boundry.
6. Project Proponent shall submit the sand replenishment study.
7. Project Proponent shall submit the compliance report of previously granted Environment Clearance.
8. Project Proponent shall submit the production detail of previous years from mining department.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत चिंगरौद, ग्राम–चिंगरौद, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 869)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36212/2019, दिनांक 14/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चिंगरौद, ग्राम पंचायत चिंगरौद, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—** पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल—15 हेक्टेयर, क्षमता—1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 496 दिनांक 04/07/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार — समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा

विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 638)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 28604/ 2017, दिनांक 07/08/2018। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् दिनांक 31/05/2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। स्थापित सीमेंट प्लांट के कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट, कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति को प्रस्तुत जानकारी का तत्समय परीक्षण किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त

होने पर उस पर विचार एवं परियोजना प्रस्तावक का पक्ष सुनने के बाद तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 07/07/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22/07/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया है।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–
   - EC No. 461/AEIAA C.G/Plant/Janjgeer-Champa/638 Atal nagar Dated 12-02-2019.
   - Proposed site for chimney/Boiler/Turbine for which EC was granted has been changed to new site by the client. As mentioned by the client, proposed site and new site both are within the boundary of Nuvoco Cement Plant, Arasmeta, on the same Khasra numbers mentioned in the proposal for EC.
   - Proposed site and new site are approximately 200 meters apart (Annexure-I & Annexure-II).
   - On the proposed site a high tension power line is passing through the plot (Annexure-III).
   - On the new site client has done site clearance and some part of foundation work (Annexure-IV), as mentioned in the report of the R.O. (CECB), Bilaspur, dated 07.03.2019 (Annexure-V). As per client, no further construction activity was continued after the visit of R.O. (CECB), Bilaspur. At present no construction is going on.
   - On the new site material & components procured for establishment of proposed power plant was also found to be dumped (Annexure-VI).

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी /

दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–भिठ्ठीकला, तहसील–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 923)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 39297/2019, दिनांक 15/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–भिठ्ठीकला, तहसील–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 कि.ग्रा. प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 कि.ग्रा. प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपए 2.85 करोड़ है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति का मत है कि अंबिकापुर क्षेत्र में चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTFS) नहीं है, इसकी यथाशीघ्र स्थापना आवश्यक है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली में बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के पालन के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी भी शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 747)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 29850/2018, दिनांक 15/10/2018 को आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि में परिवर्तन होने के कारण टीओआर में संशोधन बाबत् प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 33485/2018, दिनांक 22/03/2019 (ऑफलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक 25/03/2019) को आवेदन किया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 18/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 12/2 के स्थान पर खसरा क्रमांक 243/2, कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर में प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना का कुल विनियोग रुपए 2.85 करोड़ है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 537, दिनांक 01/03/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) {Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)} हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ग्राम–कोकोड़ी, तहसील व जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 12/2, कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर में प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा हेतु टीओआर जारी किया गया था।

तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 49, दिनांक 27/04/2019 द्वारा प्रस्तावित New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत Induction Pyrolsis क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिघंटा, Auto Clave क्षमता – 200 किलोग्राम प्रतिबैच एवं Shredder क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघंटा हेतु जारी टीओआर में स्थल स्थिति खसरा क्रमांक 12/2, कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा क्रमांक 243/4 (पार्ट ऑफ 243/1), कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति का मत है कि बस्तर क्षेत्र में चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTFS) नहीं है, इसकी यथाशीघ्र स्थापना आवश्यक है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली में बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के पालन के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी भी शासन को प्रस्तुत किया जाना है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्राथमिकता के आधार पर आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स संगीता जैन स्टोन माईन, ग्राम–भनपुरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 754)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 85791/2019, दिनांक 10/04/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भनपुरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 352/2(पी), कुल क्षेत्रफल – 1.212 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,200 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 14/05/2019 को संपन्न 277वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी थी कि खदान पूर्व से संचालित है। अतः विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की मात्रा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण की उपरोक्त एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/06/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति की दिनांक 12/06/2019 को संपन्न 281वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. ग्राम पंचायत भनपुरी द्वारा दिनांक 11/06/1997 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. राजस्व निरीक्षक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर के भीतर एवं दायरे में कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, पुल, बांध, एनिकेट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्मित नहीं है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 67/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–भनपुरी 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अस्पताल 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 11 किलोमीटर है। पैरी नदी 0.22 किलोमीटर की दूरी पर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी राजनांदगांव, वनमण्डल राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 05/03/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 544 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होना बताया गया है।
8. लीज डीड श्रीमती संगीता जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 22/02/2010 से दिनांक 21/02/2015 तक स्वीकृत था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रथम लीज श्री सुनील कुमार जैन के नाम पर वर्ष 1997 में था। तदोपरांत लीज का हस्तांतरण श्रीमती संगीता जैन के नाम पर हुआ।
9. जियोलॉजिकल रिजर्व 3,93,900 टन एवं माईनेबल रिजर्व 43,156 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (3,105 वर्गमीटर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं क्रशर की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 4 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति समीपस्थ ग्राम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

विगत वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	उत्पादन (टन)

2010 (From 22.02.2010)	92
2011	326
2012	170
2013	92
2014	142
2015 (Till 21.02.2015)	48
कुल	**870**

पांच वर्षों की प्रस्तावित उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	उत्पादन (टन)
प्रथम वर्ष	8,200
द्वितीय वर्ष	8,200
तृतीय वर्ष	8,200
चतुर्थ वर्ष	8,200
पंचम वर्ष	8,200

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
11. ब्लास्टिंग कार्य करने हेतु Directorate General Of Mines Safety (D.G.M.S.) से अनुमति प्राप्त करने बाबत् कमिटमेंट प्रस्तुत किया गया है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.5	Rain Water Harvesting & Supply of Running Water in the toilets at Bhanpuri Govt School.	Rs. 0.5
			Total	**Rs. 0.5**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उत्खनन कार्य जनवरी 2015 से बंद है। इस बाबत् प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव को विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. उत्खनन कार्य जनवरी 2015 से बंद होना बताया गया है। अतः उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की मात्रा की जानकारी / दस्तावेज के संबंध में एफीडेविट—कम—अण्डरटेकिंग दिनांक 22/07/2019 को प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार — समिति की दिनांक 22/07/2019 को संपन्न 284वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया किः—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एफीडेविट—कम—अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः—

वर्ष	**वास्तविक उत्खनन (मिलियन टन में)**
2010 (22.02.2010 से)	92
2011	326
2012	170
2013	92
2014	142
2015 (21.02.2015 तक)	48
कुल	**870**

2. उत्खनन कार्य जनवरी 2015 से बंद होना बताया गया है एवं लीज एग्रीमेंट दिनांक 21/02/2015 को समाप्त हुआ।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः—

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 67/ख. लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-भनपुरी) का रकबा 1.212 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-भनपुरी, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 352/2(पी), कुल क्षेत्रफल - 1.212 हेक्टेयर चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता - 8,200 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(जी.एल. सांकला)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स अमित कुमार बेलचंदन लाईम स्टोन माईन को खसरा क्रमांक 1121, कुल लीज क्षेत्र 1.88 हेक्टेयर, ग्राम–सिब्दी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 11,111.25 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.88 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 11,111.25 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाएः–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1.	Rain Water Harvesting System facility on Govt School of Village-Sibdi (Area-4200 sq. ft.) (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	4	10,000	40,000
2.	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village-Sibdi	2	15,000	30,000
3.	Solar lighting system (9 Wt) in Sahu Sadan and Samudayik Bhawan at Village-Sibdi	2	15,000	30,000
	Total			**1,00,000**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

14. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

17. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

18. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

19. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

21. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

22. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

23. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

24. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

25. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

28. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

29. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स संगीता जैन स्टोन माईन
को खसरा क्रमांक 352/2(पी), कुल लीज क्षेत्र 1.212 हेक्टेयर, ग्राम–भनपुरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 8,200 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्ते

1. यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.212 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 8,200 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.5	Rain Water Harvesting & Supply of Running Water in the toilets at Bhanpuri Govt School.	Rs. 0.5
			Total	**Rs. 0.5**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 800 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**